न्यायालयः सिविल जज (जू0डि0), कोंच, जनपद जालौन।
मूलवाद सं0 174/2002
शिवकुमार प्रति बृज किशोर
दिनांक 15.02.2022

पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को प्रार्थनापत्र 54ग2 पर सुना गया एवं पत्रावली का परिशीलन किया गया।

वादी द्वारा प्रार्थनापत्र 54ग2 प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि उक्त वाद के प्रतिवादी बृजकिशोर की मृत्यु दिनांक 21.12.2020 को हो चुकी है। मृतक प्रतिवादी के स्थान पर उनके वारिसान को वादपत्र में प्रतिस्थापित होना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में वादपत्र में संशोधन होना आवश्यक है।

प्रस्तावित वारिसान द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नही की गयी है।

वादी द्वारा प्रतिस्थापन प्रार्थनापत्र विधिक समय सीमा के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है। अतः इसे स्वीकार किये जाने के आधार पर्याप्त है।

आदेश

प्रतिस्थापन प्रार्थनापत्र 54ग2 स्वीकार किया जाता है। वादी आवश्यक संशोधन नियमानुसार करे। पत्रावली वास्ते अग्रिम आदेश दिनांक 12.05.2022 को पेश हो।

सिविल जज (जू0डि0), कोंच